भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2742

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

निजी कोचिंग संस्थानों का विनियमन और निगरानी

2742 **श्रीमती जेबी माथेर हीशम:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शुल्क लेने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के तीव्र विस्तार का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी कोचिंग संस्थानों की फीस, प्रवेश, विज्ञापनों और शैक्षणिक पद्धतियों को विनियमित करने के लिए कोई विनियामक तंत्र या राष्ट्रीय दिशा-निर्देश मौजूद हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें तैयार करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार न्यूनतम मानकों और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए निजी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण या प्रत्यायन शुरू करने का विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक दावों, अनुचित प्रथाओं और अत्यधिक व्यवसायीकरण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**डॉ. सुकान्त मजूमदार**)

(क) से (घ): अनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या में वृद्धि, छात्रों से अत्यधिक शुल्क लेने वाले ऐसे केंद्रों के उदाहरण, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं https://www.dohe-education.gov.in/documents/acts-and-policies/guidelines-for-regulation-of-coaching-center-ADNyEDOtQWa?pageTitle=Guidelines-for-Regulation-of-Coaching-Center

दिशा-निर्देशों में पंजीकरण के लिए शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने, शुल्क से संबंधित मामलों, कोचिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अवसंरचना की पूर्व-आवश्यकताओं को रेखांकित करने, कोचिंग सेंटर के लिए आचार संहिता स्थापित करने, मानसिक कल्याण के महत्व पर बल देने, बैच पृथक्करण नहीं करने, रिकॉर्ड के रखरखाव, शिकायत/शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसे कई प्रमुख पहलू शामिल हैं। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कोचिंग सेंटर के लिए शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम का विवरण और अवधि, लिए जा रहे शुल्क, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, केंद्र से कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में अंततः सफल होने वाले छात्रों की संख्या आदि के अद्यतित विवरण के साथ एक वेबसाइट का प्रावधान है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए समन्वय में काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बाद, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश/विनियम/कानून जारी किए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश कोचिंग संस्थान (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2026, हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) नियम 2026, पंजीकरण के लिए नीति और दिशानिर्देश, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में कोचिंग संस्थानों का नियंत्रण और विनियमन, 2026, तमिलनाडु कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2026, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2026, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन), अधिनियम 2025, त्रिपुरा में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2025, असम कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025, नागालैंड राज्य में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2025, हरियाणा पंजीकरण और निजी कोचिंग संस्थानों का विनियमन अधिनियम, 2024।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मामले को हल करने के लिए दिनांक 13.11.2024 को व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग सेंटरों को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन देने और भ्रामक या अनुचित प्रथाओं में शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोचिंग से संबन्धित कोई भी व्यक्ति सफल उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना विज्ञापन में उम्मीदवार के नाम, फोटो, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग नहीं करेगा। ये दिशानिर्देश अनुचित अनुबंधों को भी विनियमित करते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है, जिससे कोचिंग क्षेत्र में जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित हो सके। सीसीपीए कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाता है तथा उन्हें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को बंद करने का निदेश देता है।
